Recognized by UGC, under Section 2 F& 12 B.

3445

पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय
पलहीपट्टी, वाराणसी

विवरणिका

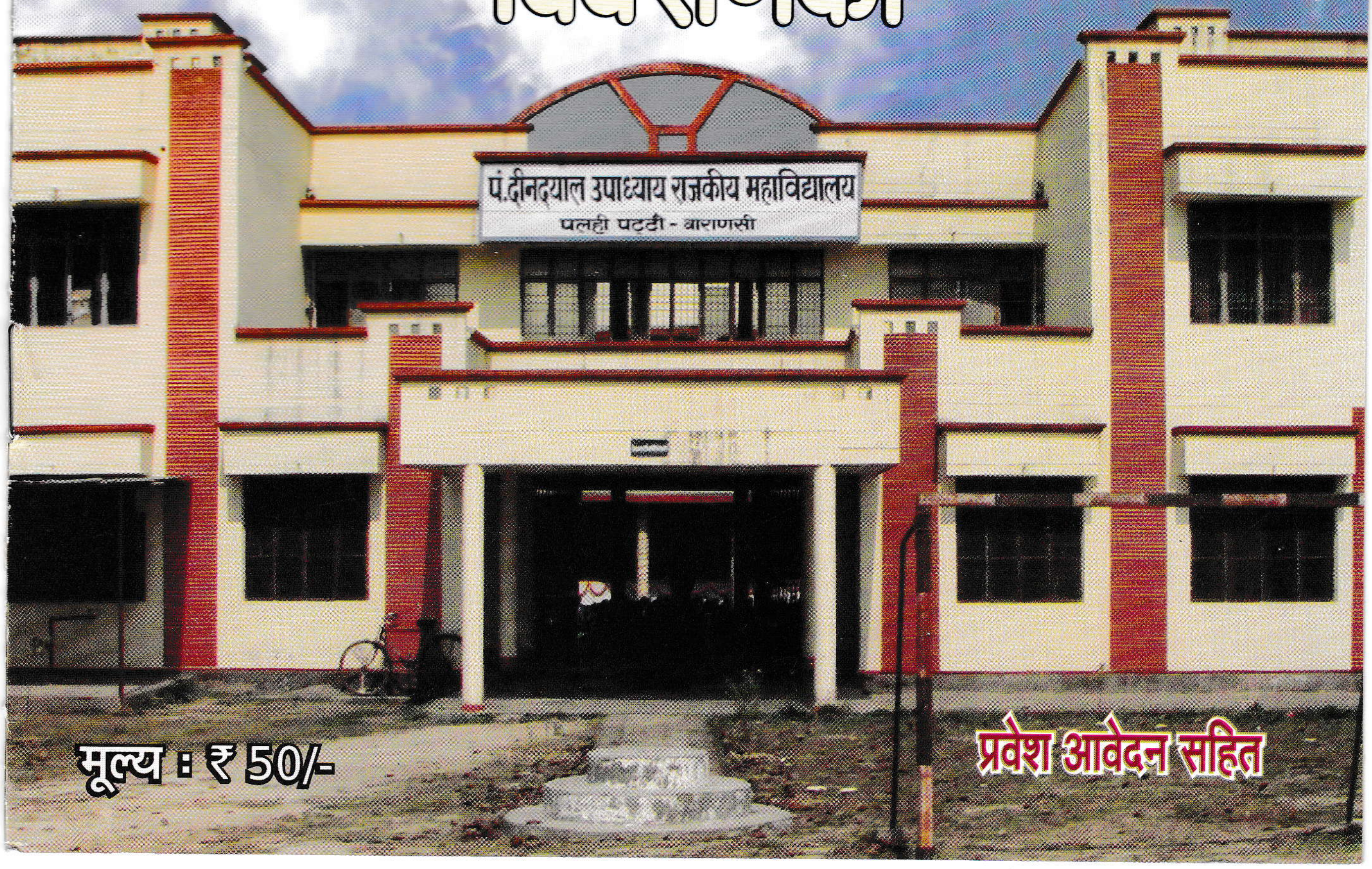

मूल्य : ₹ 50/-

प्रवेश आवेदन सहित

महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ

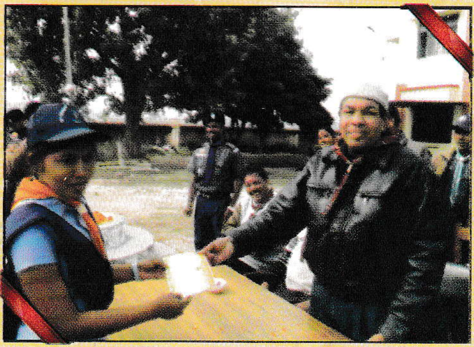

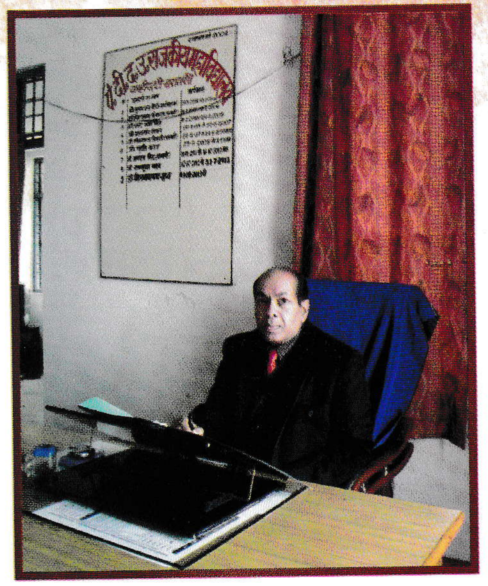

महाविद्यालय का लक्ष्य, प्रयोजन व अभियान

VISION : "To provide quality education to the student of weaker sections of the rural area, in order to bridge the rural-urban divide"

लक्ष्य : शहरी-ग्रामीण के मध्य अंतर को समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना।

MISSION : The institution is engaged in achieving the vision by :

* The development of self-reliance, communication skill and inner strength.
* Using new technologies and audio-visual aids in order to prepare them to face national and global challenges.
* Including moral values among the student.

प्रयोजन : छात्र-छात्राओं के आत्म-विश्वास, सम्प्रेषण-क्षमता एवं आंतरिक-शक्ति का विकास करना। उन्हें नई तकनीक एवं दृश्य-श्रव्य सहाय के प्रयोग के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार करना तथा उनमें नैतिक मूल्य आत्मसात कराना।

OBJECTIVE : In order to achieve the ideals set in its vision and mission, the institutions is hopeful of leading its student to;

* Increase awareness towards national and global social concerns.
* Make better their computer literacy and communication skill.
* Have the courage to stand up for their values.
* Develop the direction to distinguish between right and wrong.
* By loyal to the country and fulfill their duties as citizen.

अभियान : छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय एवं वैश्विक सामाजिक समस्याओं एवं अपने मूल्यों के प्रति जागरूक करना। उन्हें सही गलत के मध्य अंतर को समझने की दिशा प्रदान करना। उनकी सम्प्रेषण क्षमता एवं कम्प्यूटर दक्षता बढ़ाना। देश के प्रति ईमानदार होने एवंनागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन की शिक्षा देना।

महाविद्यालय परिचय

विद्या के लिए विख्यात धर्मस्थली शिव की नगरी काशी (वाराणसी) के उत्तर दिशा में 13 कि.मी. की दूरी पर वाराणसी-सिन्धोरा मार्ग तथा बाबतपुर हवाई अड्डे से पूरब दिशा में 13 कि.मी. की दूरी पर बाबतपुर-चौबेपुर मार्ग पर 'पलहीपट्टी' ग्राम में अवस्थित यह महाविद्यालय स्नातक स्तर पर सत्र 2004-2005 से संचालित हुआ है। महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की संयुक्त संख्या लगभग एक हजार है। अनुशासन, पठन-पाठन, नकल मुक्त परीक्षा एवं उच्चस्तरीय परीक्षा-परिणाम हेतु यह महाविद्यालय पूरे जनपद में जाना जाता है। अपनी स्थापना काल से ही ग्राम्यांचल के छात्र-छात्राओं की उच्चशिक्षा के गौरव को अक्षुण्ण बनाए हुए यह महाविद्यालय प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर है।

स्थापना : शासनादेश सं.पु.पु./402/70-5-2001-40(9)/2000 दिनांक 7 मार्च, 2002

अधिगृहित भूमि : लगभग 8.20 हेक्टेयर

शिलान्यास : 25 नवम्बर, 2002, माननीय श्रीराजनाथ सिंह जी,
मुख्यमंत्री, उ.प्र.सरकार

लोकार्पण : 20 नवम्बर, 2004, माननीय श्री राम आसरे विश्वकर्मा जी,
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, उ.प्र. सरकार

पद-सृजन : प्राचार्य

प्राध्यापक : 8 (संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा)

वरिष्ठ लिपिक-1

कनिष्ठ लिपिक-1

चपरासी-1

चौकीदार-1

कुल 13 पद स्वीकृत हैं।

सत्रारम्भ : 2004-05 से

सम्बद्धता : कुलाधिपति के शासनादेश नं. 5450/जी.एस. दिनांक 6 अक्टूबर 2004-2009 तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से। पत्रांक 8323/सम्बद्धता/2005 दिनांक 18.02.2005

2009-10 से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से।

यू.जी.सी. सम्बद्धता : F.No. 8-534/2011 (CPP-I/C) 9 जनवरी 2012 से 2 (F), 12 (B) के अन्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालय।

स्मार्ट क्लासेज : यू.जी.सी. द्वारा सत्र 2012-13 से 'स्मार्ट क्लास' की सुविधा प्रदत्त।

उपलब्ध पाठ्यक्रम

वैकल्पिक विषय : 1. संस्कृत, 2. हिन्दी, 3. अंग्रेजी, 4. इतिहास, 5. समाजशास्त्र, 6. शिक्षाशास्त्र, 7. गृह विज्ञान, 8. शारीरिक शिक्षा।

अनिवार्य विषय : 1. राष्ट्र गौरव, 2. पर्यावरण विज्ञान

टिप्पणी : (1) स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान विषयों में सम्बद्धता/स्वीकृति हेतु आवेदित।

(2) राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा CCA, DCA, PGDCA, BCA, B. Lib, B.Ed, कोर्स शीघ्र प्रारंभ करने हेतु प्रयास जारी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेज

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में स्व-प्रमाणित अंक पत्र की छाया प्रति
2. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रति
3. अधिभार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रति
4. आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रति
5. इण्टरमीडिएट के बाद 1-वर्ष के अन्तराल (गैप) के लिए नोटरी प्रमाणित शपथ पत्र
6. राजकीय महाविद्यालय परिवार के प्रतिपाल्य होने का प्रमाण पत्र
7. सी.एम.ओ. द्वारा प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रति

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. इण्टरमीडिएट के बाद 1 वर्ष से अधिक अन्तराल (गैप) वाले अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
2. विषयों का निर्धारण यथासम्भव आवेदन पत्र में दिये गये वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा।
3. किसी भी विषय में छात्र-छात्राओं का प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय के नियमानुसार लिया जाएगा।
4. महाविद्यालय में प्रवेश के संबंध में उ.प्र. शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा।
5. महाविद्यालय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं को नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. प्रवेश के बाद विषय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
7. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, अनु. 8, धारा 45 की उपधारा के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
8. नियमानुसार अधिभार/वेटेज का प्राविधान कर योग्यता-अनुक्रमणी के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रवेश निर्देशों का भी अनुपालन होगा। शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा। महाविद्यालय प्रशासन आवश्यक होने पर प्रवेश-पात्रता परीक्षा भी आयोजित करा सकता है।

प्रवेश चयन समिति

1. प्रवेश समिति सावधानीपूर्वक मेरिट का निर्धारण कर साक्षात्कार की तिथि प्रकाशित करेगी।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश चयन समिति के समक्ष सूचना पट्ट पर दिये गये निर्देशानुसार अपने प्रमाण पत्रों (Original documents) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
3. साक्षात्कार के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रकाशित होगी।
4. प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर प्रवेश फीस जमा करना अनिवार्य है।
5. निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने की स्थिति में प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
6. गलत सूचना देने, किसी तथ्य को छिपाने अथवा किसी अन्य त्रुटिपूर्ण कारणों से हुए प्रवेश को जाँच के उपरान्त निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
7. प्राचार्य को यह विशेषाधिकार है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी कक्षा में किसी भी प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकते हैं, संस्तुत प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं अथवा किसी प्रवेश को शुल्क जमा होने के बाद भी निरस्त कर सकते हैं।
8. कक्षाओं में उपस्थिति से सम्बन्धित शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन होना अनिवार्य है। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र-छात्राओं को परीक्षा में भाग लेने से रोक दिया जायेगा।

शुल्क-मुक्ति/छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियम

उ.प्र. शासन के निर्देशानुसार शुल्क मुक्ति/छात्रवृत्ति हेतु महाविद्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि की घोषणा की जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

शुल्क मुक्ति/छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र वांछित प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तहसीलदार/परगना मजिस्ट्रेट/नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। शुल्क मुक्ति/छात्रवृत्ति उसी दशा में जारी रह सकेगी, जब छात्र/छात्रा की प्रगति संतोषजनक हो एवं उसका आचरण उत्तम हो एवं प्रत्येक माह में उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत हो।

उ.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के आधार पर नियमानुसार आवेदन करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को 100% छात्रवृत्ति देय। ये छात्रवृत्तियाँ आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

शुल्क विवरण

शुल्क का निर्धारण शासन तथा विश्वविद्यालय के निर्देशों के आधार पर किया जाता है। महाविद्यालय सूचना पट्ट पर (प्रत्येक वर्ग के लिए) शुल्क से सम्बन्धित सूचना प्रवेश के समय लगा दी जाती है।

शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार फीस ढाँचा में परिवर्तन आन्तरिक समिति गठित कर की जाती है।

यूनिफार्म

छात्र : ग्रे पैण्ट, सफेद कमीज, काला जूता।

छात्रा : ग्रे कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, काली जूती।

(जाड़ा में : छात्र/छात्राएँ महरून ब्लेजर या डार्क ग्रे स्वेटर)

टिप्पणी : महाविद्यालय में सभी छात्र-छात्राओं को निर्धारित यूनिफार्म में आना अनिवार्य है।

शास्ता मण्डल

महाविद्यालय परिसर में अनुशासन स्थापित करने के लिए प्राचार्य द्वारा शास्ता मण्डल का गठन किया जाता है। शास्ता मण्डल समय-समय पर अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर अपना उत्तरदायित्व निभाता है।

परिचय पत्र

सभी प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय मुख्य शास्ता द्वारा हस्ताक्षरित परिचय पत्र अपने पास परिसर में रखना अनिवार्य होगा।

पुस्तकालय/वाचनालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 4600 से अधिक पुस्तकें विभिन्न विषयों की हैं। शासन द्वारा समय-समय पर प्रदत्त धनराशि से पुस्तकें क्रय की जाती हैं। वाचनालय में पूरे सत्र हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार पत्र, मैगजीन, रोजगार-समाचार एवं शोध जर्नल्स मंगाये जाते हैं।

विभागीय परिषदें

छात्र-छात्राओं तथा विषय प्राध्यापकों द्वारा निर्मित विभागीय परिषदों द्वारा छात्र-छात्राओं को विषय के प्रति जागरूक बनाया जाता है। लेखन, भाषण, तर्कशक्ति एवं सृजनात्मकता का सम्बर्द्धन करना परिषदों का मूल उद्देश्य होता है।

1. **कैरियर गाइडेंस :** छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों की सूचना प्रकाशित की जाती है। उन्हें प्रतिस्पर्धा हेतु एवं पात्रता/योग्यता परीक्षा हेतु आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2. **क्रीड़ा परिषद :** महाविद्यालय में इनडोर तथा आउटडोर खेल-कूद की व्यवस्था छात्र-छात्राओं को करायी जाती है। इसका प्रमुख उत्तरदायित्व शारीरिक शिक्षा विभाग के प्राध्यापक द्वारा निर्वहन किया जाता है।

3. **भूतपूर्व छात्र संगठन (Allumni) :** महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने वाले भूतपूर्व छात्रों को महाविद्यालय में समय-समय पर आमंत्रित करके छात्र/छात्राओं को जीवन में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

4. **परिसर पर्यावरण :** परिसर को रोवर्स/रेंजर्स, खिलाड़ियों एवं अन्य छात्र/छात्राओं के श्रमदान द्वारा वृक्षारोपण, सफाई आदि द्वारा आकर्षक एवं प्राकृतिक बनाने का प्रयास किया जाता है।

5. **राष्ट्रीय पर्व :** 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का समारोहपूर्वक आयोजन होता है। छात्र/छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण, श्रमदान आदि किया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का आयोजन होता है। समय-समय पर महापुरुषों के जन्म दिन आदि के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है।

6. **अतिथि व्याख्यान-माला :** महाविद्यालय में प्रत्येक विषयों से सम्बन्धित अतिथि व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है। समीपवर्ती महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है।

7. **स्मार्ट क्लासेज :** छात्र-छात्राओं को नवीन प्रौद्योगिकी से दक्ष बनाने हेतु स्मार्ट क्लास की व्यवस्था-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नयी दिल्ली के सहयोग से सत्र 2012-13 से प्राप्त है।

8. **महाविद्यालय पत्रिका 'वरूणा' :** 'वरूणा' का प्रकाशन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। छात्र-छात्राओं की मौलिक रचनाधर्मिता को प्रोत्साहित करना इसका मूल उद्देश्य है।

9. **शैक्षणिक कलेण्डर :** महाविद्यालय में शैक्षणिक कलेण्डर का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उ.प्र. शासन एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के निर्देशानुसार किया जाता है।

10. **रोवर्स-रेंजर्स :** महाविद्यालय में युवाशक्ति को अनुशासनबद्ध करके सेवा भावना, भाई चारा, संगठन आदि गुणों को विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स-रेंजर्स दल का गठन किया गया है। इसमें निष्ठापूर्वक किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर राष्ट्रपति पदक तक प्राप्त हो सकते हैं।

11. **राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) :** राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव, चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व की शिक्षा एवं समाजसेवा के लिए, नियम एवं अनुशासनबद्ध क्रिया-कलापों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई का गठन, जिसमें 100 छात्र/छात्राएँ पंजीकृत होते हैं।

12. **परीक्षा आवेदन पत्र (Examination form) :** महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् बी.ए.-प्रथम, बी.ए.- द्वितीय एवं बी.ए. - तृतीय के सभी छात्र-छात्रायें अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट समय के अन्दर आनलाइन (Online) परीक्षा आवेदन पत्र अवश्य भर दें और इसकी सूचना महाविद्यालय के कार्यालय में दे दें। आनलाइन परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय यह भी देख लें कि फार्म सर्वथा त्रुटि रहित है।

13. **अनिवार्य विषयों की परीक्षायें :** राष्ट्र गौरव तथा पर्यावरण अनिवार्य विषय हैं। इनकी परीक्षाएँ बी.ए.-प्रथम, बी.ए.- द्वितीय एवं बी.ए. - तृतीय तक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इन विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं का 'रिजल्ट' घोषित नहीं करेगा।

14. **आन्तरिक गुणवत्ता मूल्यांकन :** NAAC के निर्देशानुसार वांछित व्यवस्था महाविद्यालय की गुणवत्ता के आन्तरिक मूल्यांकन हेतु की गयी है।

15. **वार्षिकोत्सव :** वार्षिकोत्सव सत्रावसान के समय आयोजित होता है जिसमें वर्ष भर आयोजित शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा आदि प्रतियोगिताओं के स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है।

16. **साइकिल स्टैण्ड :** छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु महाविद्यालय परिसर में साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है।

17. **छात्रावास :** 'अति पिछड़ा वर्ग' के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध है।

उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त सत्रावधि में कम्प्यूटर कार्यशाला, संगोष्ठी, रिवीजन क्लास आदि सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य : डॉ. शिवनारायण गुप्त, पीएच.डी. - अर्थशास्त्र.

फैकल्टी

- डॉ. कुमुद त्रिपाठी - एसोसिएट प्रोफेसर
  पीएच.डी. - हिन्दी

- डॉ. नीलकान्त त्रिपाठी - एसोसिएट प्रोफेसर
  पीएच.डी. - समाजशास्त्र

- डॉ. अनन्त व्रत पाण्डेय - सहायक प्रोफेसर
  पीएच.डी. - संस्कृत

- डॉ. सुमन मोहन - सहायक प्रोफेसर
  पीएच.डी. - अंग्रेजी

- डॉ. नीतिभोला - सहायक प्रोफेसर
  एम.ए. - शिक्षाशास्त्र

- श्रीमती मीरा यादव- सहायक प्रोफेसर
  एम.पी.ई. - एम.फिल.

- कु. रिचा चौधरी -
  एम.ए. (इतिहास), नेट.

- डॉ. जयश्री द्विवेदी - सहायक प्रोफेसर
  पीएच.डी., एम.एच.एस. (गृह विज्ञान)

पुस्तकालयाध्यक्ष

श्री सुधीर कुमार मानस - एम.काम., एम.लिब., पी.जी.डी.सी.ए.

कार्यालय

- श्री राजकुमार यादव - कार्यालय अधीक्षक - स्नातक
- श्री किशन लाल - कार्यालय सहायक - एम.काम.
- श्री संजय सिंह - चौकीदार
- परिचारक - रिक्त पद चतुर्थ श्रेणी.

महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ

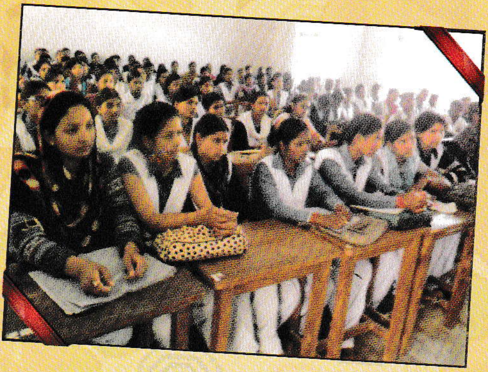

डॉ. शिवनारायण गुप्त
प्राचार्य
द्वारा रचित

कुलगीत

काशी का गौरव बढ़ाता, ज्ञान का यह निलय प्यारा।
वरुणा तट सन्निकट है, यह महाविद्यालय हमारा॥

दीन दुखियों के दयालु की मधुर स्मृति पिरोये,
सम्य के, एकात्म के, चिरकाल मूल्यों को सँजोये,
लक्ष्य पथ पर अग्रसर, विश्वास का लेकर सहारा।
काशी का गौरव बढ़ाता, ज्ञान का यह निलय प्यारा।
वरुणा तट सन्निकट है, यह महाविद्यालय हमारा॥1॥

पलही पट्टी ग्राम अवस्थित, प्रखर गरिमा-पुंज सा,
प्रस्फुटित आलोक चहुँदिश, शांत सुरभित कुंज सा,
गंग-जमुनी तहज़ीब पोषित, है प्रवाहित सृजन धारा।
काशी का गौरव बढ़ाता, ज्ञान का यह निलय प्यारा।
वरुणा तट सन्निकट है, यह महाविद्यालय हमारा॥2॥

कला का, विज्ञान का, पोषण लिए शिक्षायतन,
माँ सरस्वती की कृपा से नित-निरंतर उन्नयन,
तुष्ट कर अनहद पिपासा, हर रहा यह तिमिर सारा।
काशी का गौरव बढ़ाता, ज्ञान का यह निलय प्यारा।
वरुणा तट सन्निकट है, यह महाविद्यालय हमारा॥3॥

योजना है ज्ञान की, विज्ञान की धारा बहे अविरल यहाँ,
कला और वाणिज्य की पूरित रहे परिमल यहाँ,
सर्वहित संकल्प लेकर, करें हम उद्घोष न्यारा।
काशी का गौरव बढ़ाता, ज्ञान का यह निलय प्यारा।
वरुणा तट सन्निकट है, यह महाविद्यालय हमारा॥4॥